हिमाचल प्रदेश सरकार
वित्त (वेतन परिशोधन) विभाग

अधिसूचना

संख्याः फिन(पी.आर)–बी(7)–64/2010–लूज तारीखः शिमला–2 24 सितम्बर, 2012.

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.–**

(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (प्रवर्ग/पदवार संशोधित वेतन) नियम, 2012 है।

(ii) ये नियम इन नियमों से संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 6 में यथावर्णित तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.– : इन नियमों द्वारा या के अधीन, अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय ; ये हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के केवल ऐसे प्रवर्गों को लागू होंगे, जो उपर्युक्त अनुसूची में वर्णित हैं :

परन्तु अधिसूचना संख्याः फिन(पी.आर)–बी(7)–1/2009, तारीख 26 अगस्त, 2009, द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विसिज़ (रिवाइज़्ड पे) रूल्ज़, 2009 और उनके पश्चात्वर्ती संशोधन, अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट कर्मचारियों के प्रवर्ग/पदों को अनुसूची की स्तम्भ संख्या 6 में विनिर्दिष्ट तारीख (तारीखों) से लागू नहीं होंगे।

3. परिभाषाए.– नियमों में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरूद्ध न हो:–

(क) "सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(ख) "विद्यमान सरकारी कर्मचारी" से ऐसा सरकारी सेवक अभिप्रेत है, जो इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख को या पूर्व, से सरकारी सेवा में है;

(ग) "पे_बैण्ड में विद्यमान वेतन" से हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विसिज़ (रिवाइज़्ड पे) रूल्ज़, 2009 के स्तम्भ 6 के अनुसार कर्मचारियों द्वारा चालू पे बैण्ड में लिया जा रहा वेतन अभिप्रेत है।

(घ) "विद्यमान ग्रेड पे" से हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विसिज (रिवाइज़ड़ पे) रूल्ज, 2009 की अनुसूची के सतम्भ 7 में यथा विनिर्दिष्ट संशोधित वेतनमानों की तत्समान नियत रकम अभिप्रेत है।

(ड.) अनुसूची के स्तम्भ 2 में वर्णित किसी प्रवर्ग/पद की बावत "वेतन संरचना", इन नियमों की अनुसूची की स्तम्भ 5 के साथ पठित स्तम्भ संख्या 3 एवम् 4 में यथा विनिर्दिष्ट पे बैण्ड और ग्रेड पे है।

जारी पृष्ठ– 2/–

(च) **"पे बैण्ड में वेतन"** से अनुसूची के स्तम्भ 3 में यथा विनिर्दिष्ट संशोधित पे बैण्ड के लागू होने की तारीख को लिया गया वेतन अभिप्रेत है।

(छ) **"ग्रेड पे"** से पद के प्रत्येक प्रवर्ग के सामने अनुसूची की स्तम्भ संख्या 3 में तत्समान पे बैंड के साथ पठित संख्या 4 में यथा वर्णित नियत रकम अभिप्रेत है।

(ज) **"अनुसूची"** से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।

4. <u>विभिन्न वेतन संरचना में वेतन का लिया जाना</u>.— इन नियमों मे अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, कोई सरकारी कर्मचारी, जिस पद पर वह, इन नियमों के प्रारम्भ होने की तारीख को या तत्पश्चात् नियुक्त है, को लागू अपनी— अपनी वेतन संरचना में वेतन लेगा।

5. <u>वेतन का नियतन</u>.— किसी सरकारी कर्मचारी का वेतन, जब तक कि किसी भी दशा में सरकार विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निदेश न दे, निम्नलिखित रीति में नियत किया जाएगा, अर्थात् :—

(i) विद्यमान सरकारी कर्मचारियों की दशा में, सुसंगत पे बैंड में लिया जाने वाला विद्यमान वेतन संरक्षित किया जाएगा और **"अनुसूची"** में यथावर्णित प्रवर्ग/पद को यथा लागू उच्चतर ग्रेड पे प्रदान की जाएगी :

परन्तु यदि किसी कर्मचारी के पे बैण्ड में परिवर्तन है और यदि ऐसे कर्मचारी का विद्यमान वेतन, संशोधित पे बैण्ड के न्यूनतम से कम हो, तो ऐसा कर्मचारी सुसंगत प्रवर्ग/पद के सामने **"अनुसूची"** में यथावर्णित पद के पे बैण्ड का न्यूनतम और ग्रेड पे लेगा।

(ii) इन नियमों के प्रारम्भ होने की तारीख को या उसके पश्चात् नियुक्त सरकारी कर्मचारी की दशा में, वेतन, अपने—अपने प्रवर्ग/पद के सामने **"अनुसूची"** में यथावर्णित पे बैण्ड जमा ग्रेड पे के न्यूनतम पर नियत किया जाएगा।

(iii) उन विद्यमान सरकारी कर्मचारियों की दशा में, जो इन नियमों के अधीन विनियमित है और जिनको सरकार द्वारा जारी किन्हीं नियमों/कार्यकारी अनुदेशों के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि की नियमित सेवा पूर्ण करने के पश्चात् विशेष वेतन वृद्धियां अनुज्ञात की गई है, भविष्य में किसी विशेष वेतन वृद्धि के हकदार नहीं होंगे। तथापि, उन विनिर्दिष्ट प्रवर्गों के विद्यमान सरकारी कर्मचारियों का वेतन जिन्होंने ऐसी विशेष वेतन वृद्धियां अर्जित की है, में कोई परिवर्तन अन्तर्विष्ट नहीं होगा और वेतन संरक्षित किया जाएगा।

जारी पृष्ठ— 3/—

टिप्पणः कोई सरकारी कर्मचारी जो इन नियमों के प्रारम्भ होने की तारीख को छुट्टी पर है और छुट्टी वेतन का हकदार है, वह ऐसे प्रारम्भ होने की तारीख से "वेतन संरचना" में वेतन का हकदार बनेगा।

6. <u>वेतन वृद्धि की दर</u>.— वेतन वृद्धि की दर, लागू पे बैण्ड और ग्रेड पे में वेतन की रकम का तीन प्रतिशत होगी, जिसे दस रूपए के अगले गुणक तक पूर्णांकित किया जाएगा। तथापि, दशमलव भिन्नता की रकम अवगणित की जाएगी।

7. <u>आगामी वेतन वृद्धि की तारीख</u>.— सरकारी कर्मचारी, जिसका वेतन उसकी अपनी "वेतन संरचना" में नियम 5 के अनुसार नियत किया गया है, को अगली वेतन वृद्धि उस तारीख को प्रदान की जाएगी जिसको उसने अपनी वेतन वृद्धि ली होती, यदि वह उस विद्यमान वेतन संरचना में वेतन ले रहा होता।

परन्तु यदि किसी सरकारी कर्मचारी जिसका वेतन उसके अपने "पे बैण्ड" के न्युनतम पर नियत किया गया है, को अगली वेतन वृद्धि उस पे बैण्ड में 12 मास का अर्हक सेवाकाल पूर्ण करने पर प्रदान की जाएगी।

8. <u>अध्यारोही प्रभाव</u>.— इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वेतन के संशोधन और नियतन की बावत मूल नियमों (फन्डामेन्टल रूल्ज) के उपबंध और तदधीन, समय–समय पर जारी, विभिन्न आदेश और हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विसिज़ (रिवाइज़ड़ पे) रूल्ज़, 2009 तथा तद्धीन जारी विभिन्न आदेश ऐसे मामलों को, उस विस्तार तक जहां वे इन नियमों से असंगत हो, लागू नहीं होंगे, जहां वेतन इन नियमों के अधीन विनियमित होता है।

9. <u>अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति</u>.— सरकार अधिसूचना द्वारा अनुसूची में कोई प्रविष्टि जोड़ सकेगी या उसमें से किसी का लोप कर सकेगी या अन्यथा अनुसूची को संशोधित कर सकेगी, और तदुपरी अनुसूची को तद्नुसार संशोधित किया गया समझा जाएगा।

10. <u>शिथिल करने की शक्ति</u> .— जहां सरकार का समाधान हो जाता है कि इन नियमों के प्रवर्तन से किसी व्यष्टि विद्यमान सरकारी कर्मचारी को अनुचित कठिनाई (अभाव) कारित होती है, तो यह लिखित में आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी भी उपबंध को, ऐसे विस्तार तक और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसी यह आवश्यक समझे, शिथिल कर सकेगी या अभिमुक्ति प्रदान कर सकेगी।

जारी पृष्ठ— 4/—

11. निर्वचन .— इन नियमों के निर्वचन के सम्बन्ध में यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो सरकार द्वारा उसका विनिश्चय किया जाएगा।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव(वित्त)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्या : उपरोक्त शिमला—2, तारीख; 24 सितम्बर, 2012.
प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित हैः—

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला—171002
2. प्रधान महालेखाकार (आडिट), हिमाचल प्रदेश, शिमला—171003.
3. वरि0 महालेखाकार (ए0एवंई0), हिमाचल प्रदेश, शिमला—171003.
4. आवासीय आयुक्त हिमाचल भवन सिकन्दरा रोड, नई दिल्ली 11001.
5. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
6. समस्त मण्डलायुक्त / उपायुक्त हिमाचल प्रदेश ।
7. उपायुक्त (आर0 एवं आर0), ब्यास डैम प्रोजेक्ट, राजा का तालाब, कांगडा, हिमाचल प्रदेश।
8. समस्त पुलिस अधीक्षक, हिमाचल प्रदेश।
9. रजिस्टार, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, शिमला—171001
10. वेतन एवं लेखा अधिकारी नं0 1, रिर्जव बैंक ऑफ इंडिया, पार्लियामैंट स्ट्रीट, नई दिल्ली।
11. निदेशक, लेखा, कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार, पूर्वी ब्लॉक संख्याः 5, आर0 के0 पुरम, नई दिल्ली।
12. वरिष्ठ शोध अधिकारी, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, वेतन अन्वेष्ण युनिट, नॉर्थ ब्लॉक, कमरा संख्या. 261, नई दिल्ली।
13. उप निदेशक,सैन्ट्रल स्टेट फिनांस सैल, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली।
14. सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा / हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग / हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवायें चयन बोर्ड ।
15. आवासीय आयुक्त पांगी, किल्लर, चम्बा हिमाचल प्रदेश।
16. उप सचिव (कार्मिक नियुक्ति—2), हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला—171002
17. नियन्त्रक (वित एवं लेखा), कार्मिक विभाग, हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला—171002
18. समस्त जिलाकोषाधिकारी / कोषाधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
19. समस्त अनुभाग अधिकारी, वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला—171002।
20. कन्टोंन्मैंट कार्यकारी अधिकारी, सुबाथु / जतोग / डगशाई / कसौली / योल कैंप / बकलोह एवं डल्हौजी, हिमाचल प्रदेश।

संयुक्त सचिव(वित्त),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

अनुसूची

(नियम 3 देंखें)

1. युवा सेवाएं एवं खेल विभाग					
क्रम संख्या	प्रवर्ग / पद का नाम	पे बैंड	ग्रेड पे	टिप्पणी, यदि कोई है।	तारीख जिससे लागू है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सहायक निदेशक	10300—34800	4600	....	01—10—2012

{Authoritative English Text of this Department's Notification No. Fin(PR)-B(7)-64/2010-LOOSE Dated: Shimla-2, the 24th September, 2012, as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.}

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
FINANCE (PAY REVISION) DEPARTMENT

NOTIFICATION

No. Fin(PR)-B(7)-64/2010-loose Dated: Shimla-2, the 24th September, 2012.

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the following rules, namely:-

1. Short title and commencement:-

(i) These rules may be called the Himachal Pradesh Civil Services (Category/Post-wise Revised Pay) Rules, 2012.

(ii) They shall come into force with effect from the date as mentioned in Column 6 of the "Schedule" appended to these rules.

2 Application:- Save as otherwise expressly provided by or under these rules; they shall apply to only such categories of Himachal Pradesh Government employees as mentioned in the aforesaid Schedule;

Provided that the Himachal Pradesh Civil Services (Revised Pay) Rules, 2009 notified vide No. Fin-(PR)B(7)-1/2009 dated: 26th August, 2009 and subsequent amendment(s) thereto shall not apply to the category/ post of employees as mentioned in the 'Schedule' with effect from the date mentioned in Column No. 6 of the said Schedule.

3. Definitions:- In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context;-

(a) "Government" means the Government of Himachal Pradesh.

(b) "Existing government employee" means a government servant who is in the government service on or before the date of commencement of these rules.

(c) "Existing Pay in the Pay Band" means the pay being drawn in the running pay band by Government employees as per column-6 of Schedule appended to Himachal Pradesh Civil Services (Revised Pay) Rules, 2009.

(d) "Existing Grade Pay" means fixed amount corresponding to the revised pay scales as specified in column 7 of the 'Schedule' of Himachal Pradesh Civil Services (Revised Pay) Rules, 2009.

Continued Page No. 2/-

(e) "Pay Structure" in respect of any category/post mentioned in column-2 of the Schedule is the pay band and grade pay, as specified in column No.3 & 4 read with column 5 of the 'Schedule' of these rules.

(f) "Pay in the pay band" means the pay drawn on the date of application in the revised pay band as specified in column 3 of the 'Schedule'.

(g) "Grade pay" means the fixed amount as mentioned in the column. No 4 read with corresponding pay band in column 3 of the 'Schedule' against each category of the post.

(h) "Schedule" means the schedule appended to these rules.

4. <u>Drawal of pay in the different Pay Structure</u>:- Save as otherwise provided in these rules, a government employee shall draw pay in the respective pay structure applicable to the post to which he is an appointee as on the date of commencement of these rules or thereafter.

5. <u>Fixation of Pay</u>:- The pay of a government servant unless in any case, the government by special order otherwise direct, be fixed in the following manner, namely:-

(i) In case of existing government servants, the existing pay being drawn in the relevant pay band will be protected and higher grade pay as applicable to the category/post as mentioned in the "Schedule" will be granted:

Provided that if there is change in the pay band of an employee and in case the existing pay of such employee comes to less than the minimum of the revised pay band, then the employee shall draw the minimum of the pay band and grade pay of the post as mentioned in the "Schedule" against the relevant category/post.

(ii) In case of Government servant appointed on or after the date of commencement of these rules, the pay will be fixed at minimum of the pay band plus grade pay as mentioned in the "Schedule" against the respective category/post.

(iii) In the case of existing government employees who are governed under these rules and have been allowed special increments after putting in specific period of regular service under any rules/executive instructions issued by the Government shall not be entitled to any special increments in future. However, the pay of existing Government servants of those specific categories who have earned such special increments shall not undergo any change and will be protected.

Continued Page No. 3/-

Note:- A Government employee who is on leave on the date of commencement of these rules and is entitled to leave salary, shall become entitled to pay in the 'Pay Structure' from the date of such commencement.

6. Rate of Increment:- The rate of increment will be {3%} three per cent of the sum of the pay in the pay band and grade pay applicable which will be rounded off to the next multiple of ₹ 10. However, the amount of decimal fraction will be ignored.

7. Date of next increment:- The next increment of a Government employee, whose pay has been fixed in the respective "Pay Structure" in accordance with Rule 5, shall be granted on the date, he would have drawn his increment, had he continued in the existing pay structure.

Provided that the next increment of a Government employee whose pay is fixed at the minimum of the respective Pay Band, shall be granted after completion of qualifying service of 12 months in that Pay Band.

8. Overriding effect:- The provisions of Fundamental Rules and various orders issued thereunder, from time to time, and the Himachal Pradesh Civil Services (Revised Pay) Rules, 2009, as well as various orders issued thereunder, by the Himachal Pradesh Government with regard to pay revision & fixation of pay shall not, save as otherwise provided in these rules, apply to cases where pay is regulated under these rules, to the extent they are inconsistent with these rules.

9. Power to amend the Schedule:- The Government, may by notification, add to or delete from the Schedule any entry or otherwise amend the Schedule, and thereupon the Schedule shall be deemed to have been amended accordingly.

10. Power to relax:- Where the Government is satisfied that the operation of these rules causes undue hardship to any individual existing Government employee, it may, by an order in writing, relax or dispense with any of the provisions of these rules to such extent and subject to such conditions, as it may consider necessary.

11. Interpretation:- If any question arises relating to the interpretation of any of the provisions of these rules, the Government shall decide the same.

BY ORDER

PRINCIPAL SECRETARY (FINANCE) TO THE
GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH

Continued Page No. 4/-

Endst. No. As above. Dated: Shimla-2, the 24th September, 2012.
Copy forwarded to:-

1. All the Additional Chief Secretaries/ Principal Secretaries/Secretaries to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-171 002.
2. The Principal Accountant General (Audit), H.P. Shimla-171 003.
3. The Accountant General (A&E), H.P. Shimla-171 003.
4. The Pr. Resident Commissioner, Himachal Bhawan, New Delhi.
5. All Heads of the Departments in Himachal Pradesh.
6. All the Divisional Commissioners/Deputy Commissioners in Himachal Pradesh.
7. The Deputy Commissioner (R&R), Bias Dam Project, Raja Ka Talab, Kangra, Himachal Pradesh.
8. All the Superintendents of Police in Himachal Pradesh.
9. The Registrar, H.P. High Court, Shimla.
10. The Pay and Accounts Officer, No. 1, Reserve Bank of India, Parliament Street, New Delhi.
11. The Director, Accounts, Cabinet Secretariat, Government of India, East Block No. 5, Level-5, R.K. Puram, New Delhi.
12. The Senior Research Officer, Ministry of Finance, Department of Expenditure, Pay Research Unit, North Block, Room No. 261, New Delhi.
13. The Deputy Director, Central State Finance Cell, Ministry of Finance, Department of Expenditure, GOI, New Delhi.
14. The Secretary, Himachal Pradesh Vidhan Sabha/ HPPSC/ HPSSSB/ HPSERC, Shimla.
15. The Resident Commissioner, Pangi at Killar, District Chamba, Himachal Pradesh.
16. The Deputy Secretary (Personnel-II) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-171 002.
17. The Controller (F&A), Department of Personnel, H.P. Secretariat, Shimla-171002.
18. All the District Treasury Officers/Treasury Officers in H.P.
19. All Sections of Finance Department, H.P. Secretariat, Shimla.
20. The Cantonment Executive Officer, Subathu/ Jutogh/ Dagshai/ Kasauli/ Yol Camp (Kangra)/ Bakloh & Dalhousie, H.P.

{Ramesh Chander Chauhan}
Joint Secretary (Finance) to the
Government of Himachal Pradesh.

Praveen/Instructions/2012

****

Schedule
(See Rule-3)

1. YOUTH SERVICES & SPORTS DEPARTMENT					
Sr. No.	Name of the category/post.	Pay Band	Grade Pay	Remarks, if any.	Date from which applicable.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Assistant Director	10300-34800	4600	---------	01.10.2012